

**FORM - III**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

गनपत राम बनाम रामस्वरूप आदि

अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आरटीए नम्बर प्रकरण संख्या 107 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/145

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

28.04.2025	वादी गनपत राम पुत्र रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 11 छतरगढ तहसील छतरगढ तहसील छतरगढ, जिला बीकानेर की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आरटीए, पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.05.2025 को पेश हो।	रागत जारी 181 28/4/25
------------	--	-----------------------------

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व):  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

र२५/२५ वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता सुशी निशा मौर्य ने प.न. दी। वादी अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 RTA नोटप्रेस किया।

UT प्रतिवादीगण स. 1 व 2 की तरफ से @ishq adv.

वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादी का वादपत्र नोटप्रेस करने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली गिनाति होकर गन्वर से काम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Note press  
22/5/25



सहायक कलक्टर एवं फ़ैद  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)